

एफ. सं. 11-28/2021-वित्त (ई. सं. 32949)

भारत सरकार
दिल्ली दुग्ध योजना
पश्चिमी पटल नगर
नई दिल्ली-110008

दिल्ली दुग्ध योजना (डीएमएस) भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है तथा 1959 से दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति में लगा हुआ है।

डीएमएस आम जनता से इच्छुक/आकांक्षी उद्यमियों को सूचित करता है कि वे, यदि, नई वृथ आवंटन एवं परिचालन नीति के तहत नियमों एवं शर्तों के अनुसार रियायती-शिप के आधार पर दूध वृथ संचालित करने के इच्छुक हैं, तो वे ऑनलाइन डीएमएस वृथ ऐप सॉफ्टवेयर एवं वितरण ईआरपी प्रणाली (<http://dmsmilk.in>) के माध्यम से डीएमएस के रिक्त वृथों (सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से नवीनीकरण पूरा होने से पहले "जैसा है, जहां है" के आधार पर परिचालन) के पंजीकरण/शॉर्ट लिस्टिंग/आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। डीएमएस वृथ ऐप में ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आरंभ तिथि 22/04/2025 सुबह 9:00 बजे और उसके बाद है और ऑनलाइन आवेदन विंडो केवल उपलब्ध वृथ निविदों के लिए अपेक्षित संख्या में आवेदन प्राप्त होने तक सक्रिय रहेगी। शॉर्टलिस्टिंग पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर है। पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने और वृथ आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के लिए पात्रता मानदंड और अन्य नियम और शर्तें उपरोक्त लिंक का उपयोग करके डाउनलोड की जा सकती हैं।

महाप्रबंधक
दिल्ली दुग्ध योजना